न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर

III/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/3777

प्रकरण कमांक /2017 रिवीजन

1. मु. रमा विधवा पत्नी स्व. श्री उमेश भारद्धाज आयु-64 साल,
2. अमरीश पुत्र स्व. श्री उमेश भारद्धाज आयु-42 साल दोनो जाति ब्राम्हण निवासी-गंजबासौदा जिला विदिशा म0प्र0
3. श्रीमती भावना पुत्री स्व. श्री उमेश भारद्धाज पत्नी राजेन्द्रआयु-40 साल जाति ब्राम्हण निवासी-रामलला पथ सिरौज जिला विदिशा म0प्र0
4. श्रीमती अम्बिका पुत्री स्व. श्री उमेश भारद्धाज पत्नी श्री संजीव आयु-35 वर्ष, जाति ब्राम्हण निवासी-ड्रीमलेन्ड, ब्लो, क्रांसिग रिपब्लिंकन गाजियाबाद उ0प्र0

..........आवेदकगण

विरुद्ध

दिनेश चन्द्र भारद्धाज पुत्र स्व. श्री बाबू छोटेलाल भारद्धाज आयु-73 वर्ष, निवासी- एम.एस. रोड कस्वा जौरा जिला मुरैना म0प्र0

----अनावेदक

<u>रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 09.08.2017 श्रीमान अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना म0प्र0 प्रकरण कमांक 151/ 2016-17 अपील में पारित।</u>

पेशी दिनांक 6-11-17

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से रिवीजन निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

1. यहकि, संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार जौरा वृत्त पहाडगढ जिला मुरैना में रिस्पोडेन्ट ने दिनांक 06/04/2016 को एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सेढ़ई तहसील जौरा जिला मुरैना स्थित भूमि सर्वे कमांक-101, 1 बीघा 4 बिस्वा, 103 रकवा 4 बीघा 15 बिस्वा, 104 रकवा 4 बीघा 18 विस्वा, 105 रकवा 1 बीघा 14 बिस्वा, 109 रकवा 1 बीघा 11 बिस्वा, 110 रकवा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकवा 20 बीघा 8 बिस्वा पर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर नायब तहसीलदार जौरा वृत्त पहाडगढ ने प्रस्तुत किया गया जिस पर नायब तहसीलदार जौरा वृत्त पहाडगढ ने प्रकरण कमांक-06/2015-16/अ-6-अ पर दर्ज कर दिनांक 23/05/2016 को विधिवत कार्यवाही करते हुए रिस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरण स्वीकार किया गया।

2. यहकि, आवेदकगण ने नायब तहसीलदार जौरा वृत्त पहाडगढ जिला मुरैना के प्रकरण कमांक-06/2015-16/अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 23/05/2016 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग जौरा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक-55/15-16/अ.मा. में दर्ज करते हुए पारित आदेश दिनांक 11/01/2017 को सिविल न्यायालय के आदेश का हवाला देकर आवेदकगण की अपील को स्पीकिंग आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग जौरा के आदेश दिनांक 11/01/2017 के विरूद्ध द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत श्रीमान् अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कि प्रकरण

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/3777

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
12-1-2018	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 151/2015-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 09.08.17 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2-आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क किये। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विंचारोपरांत एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश के पैरा-6 में पूर्ण विवेचना विस्तार से करते हुये निष्कर्ष निकाला गया है कि सिविल न्यायालय में दायर वाद जो कि आवेदकगण ने विवादित भूमियों के संबंध में दायर किया गया है और उस में माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जौरा जिला मुरैना ने प्रकरण कमांक 41-ए/15 संस्थित दिनांक 2.9.15 में पारित आदेश दिनांक 21.1.17 के बिन्दु कमतांक 10 उपकमांकों में वाद पश्न तथा निष्कर्ष स्पष्ट रूप से निकाले गये हैं। माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जौरा जिला मुरैना ने प्रकरण कमांक 41-ए/15 संस्थित दिनांक 2.9.15 में पारित आदेश दिनांक 21.1.17 में स्वत्व के संबंध में समस्त निष्कर्ष समाहित हैं यह उल्लेख अपर	

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / मुरैना / भू.रा. / 2017 / 3777

आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा भी अपने आदेश में निकाला गया है। उनके आदेश दिनांक 9.8.17 से मैं सहमत हूँ। ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल के आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजी जावे।

सदस्य